



झारखण्ड सरकार

वाणिज्य-कर विभाग

## GST के अधीन रिटर्न दाखिल करने हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ

GST के अधीन विवरणियों को दाखिल करने की अवधि निम्नवत् निर्धारित की गई है:-

1. **GSTR-3B** – सभी करदाताओं के लिए प्रत्येक माह के लिए उसके अगले माह की 20 तारीख तक दाखिल करना है।
2. (a) **GSTR-1** (1.5 करोड़ रुपये वार्षिक सकल आवर्त तक के व्यवसायियों के लिए)– त्रैमासिक

क्र०सं०	अवधि	संशोधित अंतिम तिथि
1	जुलाई से सितम्बर, 2017	31.12.2017 तक
2	अक्टूबर से दिसम्बर, 2017	15.02.2018 तक
3	जनवरी से मार्च, 2018	30.04.2018 तक

- (b) **GSTR-1** (1.5 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक सकल आवर्त वाले व्यवसायियों के लिए)– मासिक

क्र०सं०	अवधि	संशोधित अंतिम तिथि
1	जुलाई से अक्टूबर, 2017	31.12.2017 तक
2	नवम्बर, 2017	10.01.2018 तक
3	दिसम्बर, 2017	10.02.2018 तक
4	जनवरी, 2018	10.03.2018 तक
5	फरवरी, 2018	10.04.2018 तक
6	मार्च, 2018	10.05.2018 तक

### 3. अन्य विवरणियाँ / प्रपत्र-

Sl. No.	Form & Details	संशोधित अंतिम तिथि
1	<b>GST ITC-04</b> जुलाई से सितम्बर, 2017	31.12.2017 तक
2	<b>GSTR-4</b> जुलाई से सितम्बर, 2017	24.12.2017 तक
3	<b>GSTR-5</b> जुलाई, 2017	11.12.2017 तक
4	<b>GSTR-5A</b> जुलाई, 2017	15.12.2017 तक
5	<b>GSTR-6</b> जुलाई, 2017	31.12.2017 तक
6	<b>TRAN-1</b>	31.12.2017 तक

किसी भी प्रकार के सहायता के लिए विभागीय कॉल सेन्टर प्रतिदिन 24X7 कार्यरत है जिसका टोल फ्री नम्बर-18003457020 एवं 0651-6600500 है। इस पर आप सम्पर्क कर सकते हैं अथवा वाणिज्य-कर अंचल में कार्यरत GST सुविधा केन्द्र से कार्यालय अवधि में सम्पर्क कर सकते हैं।

नोट:- रिटर्न दाखिल करने के संबंध में पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी हेतु झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 तथा झारखण्ड माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 एवं इनके अन्तर्गत निर्गत अधिसूचनाओं को देखा जा सकता है, जो विभागीय वेबसाइट <https://www.jharkhandcomtax.gov.in> पर उपलब्ध है।

